BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 390 OF 2026

IN THE MATTER OF:
WASEEM RAJA **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...RESPONDENTS**

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD PLACING ON RECORD THE JOINT COMMITTEE REPORT IN COMPLIANCE OF THE ORDERS DT. 10.07.2026 AND 15.09.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE R-1	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Jadonlawchambers@gmail.com| 9639286572

Date: 23.11.2026
Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 390 OF 2026

IN THE MATTER OF:
WASEEM RAJA **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...RESPONDENTS**

SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD PLACING ON RECORD THE JOINT COMMITTEE REPORT IN COMPLIANCE OF THE ORDERS DT. 10.07.2026 AND 15.09.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Ravindra Kumar Mandar, aged about 36 years, S/o Sh. Chandan Lal Meena., presently posted as District Magistrate, Ghaziabad, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized and competent to swear the present short affidavit on behalf of the District Magistrate, Ghaziabad, who was appointed as the Nodal Agency by this Hon'ble Tribunal in the captioned matter. I am well conversant with the facts and records of the case and am competent to depose hereto.

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 11466/98 GOVT. OF INDIA

23 NOV 2026

2. That this Hon'ble Tribunal, vide orders dated 10.07.2026 and 15.09.2026, constituted a Joint Committee comprising representatives from the Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, and the District Magistrate, Ghaziabad (as Nodal Agency), directing the Committee to inspect the site in question (pond situated at Khasra Nos. 2076, 2077, and 2078, Village Dasna, District Ghaziabad) and submit a factual/action report.

3. That in compliance with the aforesaid directions of this Hon'ble Tribunal, the nominated members of the Joint Committee conducted a joint spot inspection of the site in question on **29.09.2026** and thereafter prepared and signed the Joint Committee Inspection Report along with relevant annexures and geo-tagged photographs.

Copy of the Joint Committee Report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1** for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

4. That the present short affidavit is being filed bona fide in compliance with the orders passed by this Hon'ble Tribunal and in the interest of justice.

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1[illegible]6/98 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

23 NOV 2026

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 23 day of **November, 2026**, that the contents of paragraphs 1 to 4 of the above affidavit are true and correct to my knowledge based on official records maintained in the ordinary course of business. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1186/98 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

23 NOV 2026

Joint inspection of site in question in compliance of orders passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in OA No.390/2026 (IA No.506/2026 & 507/2026) Waseem Raja Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

1.Background:-

The applicant has filed Original Application alleging about illegal mining in the pond in the garb of the de-silting work at the instance of the respondent no. 6 and 7. It was also alleged that there is a public pond situated opposite Siddha Peeth Devi Temple, Village Dasna, District Ghaziabad in Khasra No. 2076, 2077 and 2078. Learned counsel for the applicant submits that this pond is duly registered as Johad in the revenue record and in this regard, she has referred to the revenue entries filed as Annexure A/1 (Page 36 onwards).

Order of the Hon'ble National Green Tribunal passed on 10.07.2026.

The above matter was listed on 10.07.2026 for hearing and Hon'ble NGT was pleased to pass following directions:-

".....8. Considering the seriousness of the issue involved in the matter we appoint a Joint Committee comprising of (i) Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, (ii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, (iii) Secretary, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and (iv) District Magistrate, Ghaziabad. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency in the matter.

9. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of desilting work which has been done by the Respondent No. 7 and also find out the correctness of the allegation made in the OA and the person responsible for carrying out the said de-silting work in excess of the limit by indulging in illegal mining and the official who had extended the cooperation and help in that process. Considering the forthcoming

monsoon the Joint Committee will take up the exercise of the spot inspection without any delay.

10. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of two months and an action report be filed before the Tribunal before the next date of hearing. ……..."

Order of the Hon'ble National Green Tribunal passed on 15.09.2026.

Furthermore, the above matter was listed on 15.09.2026 for hearing and Hon'ble NGT was pleased to pass following directions:-

".....5.Report of the Joint Committee may be filed within two months, failing which the District Magistrate, Ghaziabad, who is the nodal officer, shall appear before this Tribunal physically or through VC on the next date of hearing fixed to explain the circumstances of non-compliance.

7. List on 25.11.2026 for further hearing....."

2. Nomination of Joint Committee Members:-

I. Pursuant to above directions of the Hon'ble NGT, District Magistrate Ghaziabad has issued letters dated 31.08.2026 & 10.09.2026 to Member Secretary CPCB Delhi, Member Secretary UPPCB Lucknow and Director Geology and Mining Lucknow to nominate theirs representatives to carry out the site inspection in question. The copies of letters dated 31.08.2026 & 10.09.2026 has been annexed herewith as **Annexure-I.**

II. In response to above, CPCB, UPPCB and Directorate of Geology and Mining Lucknow have nominated their following members to carry out the joint inspection:-

S.No.	Name of Departments	Name of Committee Member
1	Office of the District Magistrate Ghaziabad	Shri Ajeet Kumar Singh Sub Divisional Magistrate Sadar
2	Central Pollution Control Board Delhi	Shri Ankur Tiwary Scientist 'E' & Incharge, CPCB Project Office Agra
3	Directorate of Geology and Mining Lucknow	Dr. Naveen Kumar Das Additional Director
4	U.P. Pollution Control Board Lucknow	Shri Ankit Singh Regional Officer UPPCB Ghaziabad

The copies of nominated representatives of respective departments has been annexed herewith as **Annexure-II.**

3. Site Inspection of Joint Committee:-

The Joint Committee perused the Hon'ble NGT orders and noted the averments made by the applicant in original application. The Joint Committee Members were present at site on dated 29.09.2026 and visited the site in question in presence of Executive Officer Nagar Panchayat Dasna, Ghaziabad to ascertain the truthfulness of the contents of the original application.

4. Observations of the Joint Committee:-

The Joint Committee's field observations and collected information are presented below:-

i. As per revenue record/information provided by Nagar Panchayat, pond is situated at khasra No.2076, 2077, 2078 in Dasna Ghaziabad. The areas of khasra No.2076, 2077, 2078 are respectively 1.758 hectares, 3.376 hectares, 1.620 hectares and total land area of 6.754 hectares is recorded as water body in revenue record. The copies of revenue record has been annexed herewith as **Annexure-III.**

ii. It is also necessary to point out that regarding the dumping of garbage and discharge of untreated sewage into the pond, MA No. 48/2022 in OA No. 30/2022 Afsar Ali Vs State of Uttar Pradesh & Ors. is also sub-judice

before the Hon,ble NGT, wherein directions have been issued for its restoration and rejuvenation.

iii. Pursuant to the directions of Hon'ble NGT, Nagar Panchayat Dasna has issued work order on 06.05.2026 to M/s AVP Enviro Facilities Pvt. Ltd. Rajnagar Ghaziabad to carry out the work of cleaning the pond by de-watering and removing water hyacinth, silt. The copy of work order dated 06.05.2026 has been annexed herewith as **Annexure-IV.**

iv. As per information provided, in accordance with contract an application has been submitted by M/s AVP Enviro Facilities Pvt. Ltd. on the departmental portal to obtain No Objection Certificate (NOC) dated 08.06.2026 from mining department in order to excavate and rejuvenate the said pond with specific condition that the soil excavated from the site shall not be used for commercial purposes. The copy of NOC dated 08.06.2026 has been annexed herewith as **Annexure-V.**

v. During inspection it was brought to notice by Nagar Panchayat Dasna that the de-silting the pond had been under taken. The de-silting of pond was commenced on 08.06.2026 and has been completely suspended since 10.07.2026 due to monsoon rains. At the time of inspection it was found that most of the silt has been removed from the site, while the silt was seen collected in the form of heaps at some places.

vi. During inspection Nagar Panchayat Dasna informed that according to the estimate, the total quantity of silt removal from the pond was 12607 Cum, against which 10332.77 Cum, has been removed and 2274 Cum, is still

remains for removal. In this regard details of measurement was produced at site, which has been annexed herewith as **Annexure-VI.**

vii. As the applicant has stated in original application that instead of merely removing accumulated silt from the pond bed, extensive excavation of the pond is being carried out and excavated sand is being transported for commercial purposes. It is clarified that no Ordinary sand is available at the said pond site and only a mix of garbage, ordinary soil and silt was available. At the time of inspection the remaining work of de-silting was halted as the most of the pond was filled with rain water, due to which the exact measurement of excavation work could not be carried out.

viii. During inspection it was found that solar powered CCTV Camera has been installed by mining department in pursuance of Hon'ble National Green Tribunal's direction that *'No illegal mining shall take place at the pond site in the name of de-silting'.*

ix. The Nagar Panchayat Dasna has issued work order for beautification and rejuvenation of pond. At the time of inspection it was observed that the plantation activities has been under taken along with installation of tree guards by constructing an earthen embankment of 20 ft wide and 6 ft high around the pond and tree plantation of about 400 saplings were observed at site.

5.Conclusion/Suggestion:-

i. The de-silting work of the pond had been under taken by Nagar Panchayat Dasna and currently is completely stopped due to rain water accumulation.

ii. The restoration and rejuvenation of the pond is being under taken.

iii. During the inspection the matter has not come to notice regarding the transportation related to the sale soil/silt generated from de-silting of the pond.

iv. The ultimate depth up to which the said pond needs to be excavated/worked out shall be provided the District Ground Water Management Council through Nagar Panchayat Dasna. Based on the ultimate depth provided, a de-silting/excavation plan shall be prepared by Nagar Panchayat Dasna. and any soil excavated from the said pond shall be utilized in its periphery only.

v. In case of de-silting work is re-started, compliance with the conditions stipulated in the work order and NOC/Permission issued by Nagar Panchayat Dasna and Mining Department should be ensured and continuous tracking should be carried out by Nagar Panchayat Dasna in this regard.

Geo-tagged Photographs of site are given below:-

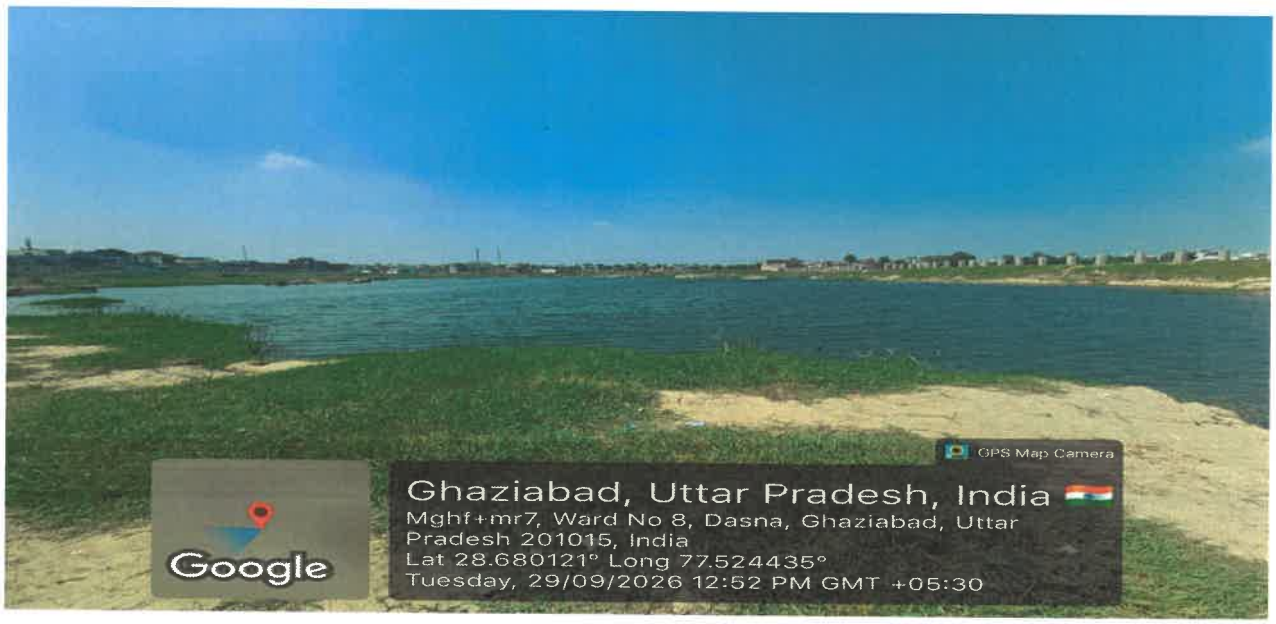

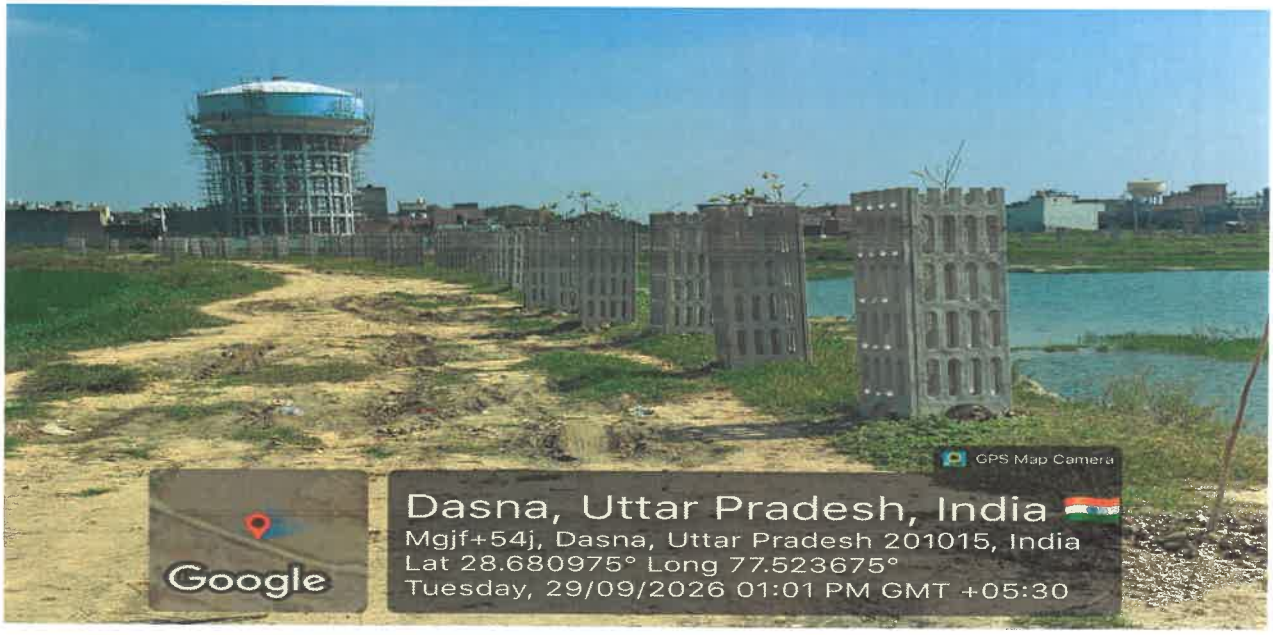
GPS Map Camera
Google
Dasna, Uttar Pradesh, India
Mgjf+54j, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India
Lat 28.680975° Long 77.523675°
Tuesday, 29/09/2026 01:01 PM GMT +05:30


GPS Map Camera
Google
Dasna, Uttar Pradesh, India
Mgjf+54j, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India
Lat 28.681004° Long 77.523686°
Tuesday, 29/09/2026 01:01 PM GMT +05:30

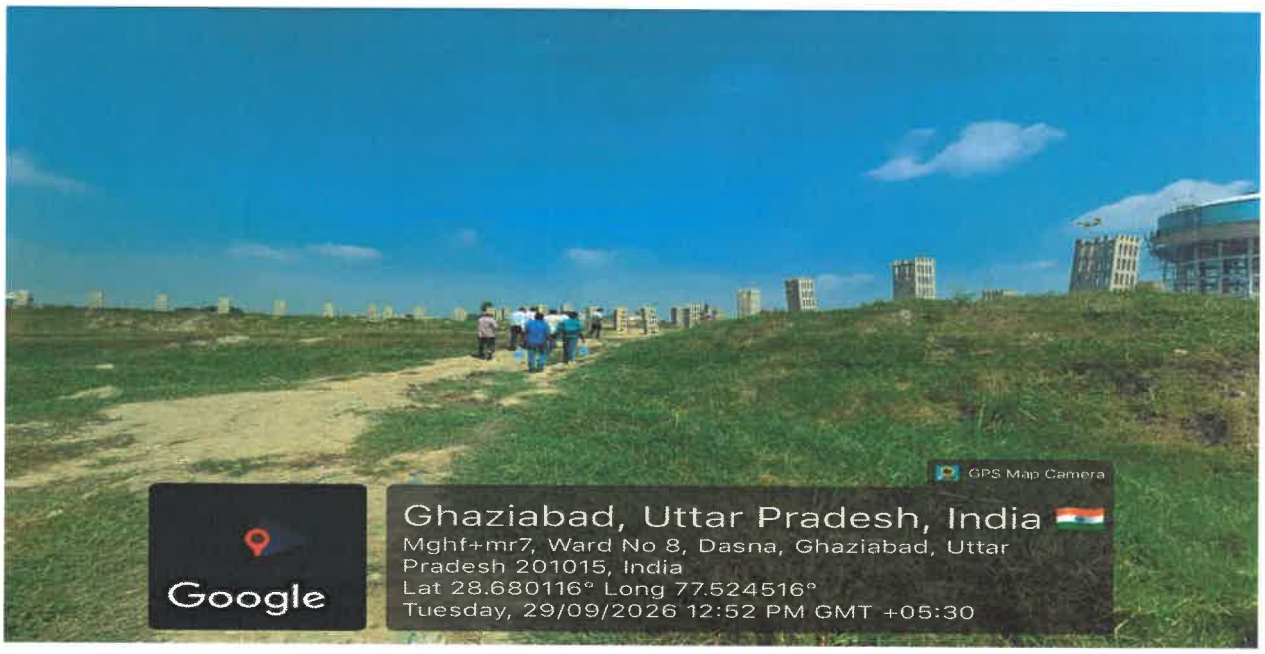
GPS Map Camera
Google
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
Mghf+mr7, Ward No 8, Dasna, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201015, India
Lat 28.680116° Long 77.524516°
Tuesday, 29/09/2026 12:52 PM GMT +05:30

Inspection Team:-

S.No.	Name of Officials	Signature
1.	Shri Ajeet Kumar Singh Sub Divisional Magistrate Sadar, Ghaziabad	
2.	Dr. Naveen Kumar Das, Additional Director Directorate of Geology and Mining Lucknow Shri Ram Padarath Singh Regional Enforcement Officer Ghaziabad	
3.	Shri Ankur Tiwary Scientist 'E' & Incharge, CPCB Project Office Agra,	
4.	Shri Ankit Singh Regional Officer, UPPCB Ghaziabad	
5.	Shri Vipul Kumar AEE, UPPCB Ghaziabad	

DATED - 29.09.2026

Annexure-I

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्र संख्याः 1280 /O.A-390/2026/ NGT-278 2026 दिनांक 31 /अगस्त/2026

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

1. सदस्य सचिव
   केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   दिल्ली।
2. सदस्य सचिव
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   लखनऊ।
3. निदेशक
   भूविज्ञान और खनन निदेशालय
   लखनऊ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0 390/2026 (आई0ए0 नं0 506/2026 & आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम राजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0 390/2026 (आई0ए0 नं0 506/2026 & आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम राजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन के मुख्य अंश निम्नवत हैः—

".....8. Considering the seriousness of the issue involved in the matter we appoint a Joint Committee comprising of (i) Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, (ii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, (iii) Secretary, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and (iv) District Magistrate, Ghaziabad. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency in the matter.

9. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of desilting work which has been done by the Respondent No. 7 and also find out the correctness of the allegation made in the OA and the person responsible for carrying out the said de-silting work in excess of the limit by indulging in illegal mining and the official who had extended the cooperation and help in that process. Considering the forthcoming monsoon the Joint Committee will take up the exercise of the spot inspection without any delay.

10. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of two months and an action report be filed before the Tribunal before the next date of hearing....."

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय जांच हेतु अपने विभाग से संबंधित अधिकारी को नामित करते हुए नाम, पदनाम व मो0 नं0 प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे कि संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके। अग्रेत्तर प्रकरण दिनांक 15.09.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।

27/8/26

(रविन्द्र कुमार मॉदड)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि

1. अपर जिलाधिकारी (नगर)/नोडल एन0जी0टी0 गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27/8/26

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।
O/C
R.O.

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्र संख्याः 1525/NGT-278/2026
O.A-390/26

दिनांक 10 / सितम्बर / 2026

आवश्यक / महत्वपूर्ण
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

1. सदस्य सचिव
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दिल्ली।
2. निदेशक
भू–विज्ञान और खनन निदेशालय
लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 390/2026 (आई0ए0 नं0 506/2026 & आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम राजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन के संबंध में।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0 390/2026 (आई0ए0 नं0 506/2026 & आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम राजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

".....8. Considering the seriousness of the issue involved in the matter we appoint a Joint Committee comprising of (i) Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, (ii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, (iii) Secretary, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and (iv) District Magistrate, Ghaziabad. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency in the matter.

9. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of desilting work which has been done by the Respondent No. 7 and also find out the correctness of the allegation made in the OA and the person responsible for carrying out the said de-silting work in excess of the limit by indulging in illegal mining and the official who had extended the cooperation and help in that process. Considering the forthcoming monsoon the Joint Committee will take up the exercise of the spot inspection without any delay.

10. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of two months and an action report be filed before the Tribunal before the next date of hearing....."

उल्लेखनीय है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या 1280/ओ0ए0–390/2026/एन0जी0टी0–278/2026 दिनांक 31.08.2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संयुक्त स्थलीय जांच हेतु आपके विभाग से संबंधित अधिकारी को नामित करते हुए नाम, पदनाम व मो0 नं0 प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी थी, जिसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है जिसके कारण संयुक्त निरीक्षण कराये जाने में विलम्ब हो रहा है।

अतः प्रकरण कि महत्ता के दृष्टिगत अपने विभाग से संबंधित अधिकारी को नामित करते हुए नाम, पदनाम व मो0 नं0 यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके। अग्रेत्तर प्रकरण दिनांक 15.09.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

11/9/26
(रविन्द्र कुमार मॉदड)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि

1. अपर जिलाधिकारी (नगर)/नोडल एन0जी0टी0 गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

CamScanner

Annexure-II

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
परियोजना कार्यालय, आगरा
PROJECT OFFICE, AGRA
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

सं० परि०का०आ० / प्रशा० / एन.जी.टी. / 183–24 / 137 दिनांक 29.07.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
गाजियाबाद (उ0प्र0)

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 390/2026, "Waseem Raja vs State of Uttar Pradesh & Ors." में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 390/2026, "Waseem Raja vs State of Uttar Pradesh & Ors." में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 माननीय एन.जी.टी. की वेबसाइट पर उपलब्ध एवं संलग्नानुसार है। उक्त पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"....8. Considering the seriousness of the issue involved in the matter we appoint a Joint Committee comprising of (i) Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, (ii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, (iii) Secretary, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and (iv) District Magistrate, Ghaziabad. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency in the matter.
9. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of de-silting work which has been done by the Respondent No. 7 and also find out the correctness of the allegation made in the OA and the person responsible for carrying out the said de-silting work in excess of the limit by indulging in illegal mining and the official who had extended the cooperation and help in that process. Considering the forthcoming monsoon the Joint Committee will take up the exercise of the spot inspection without any delay.
10. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of two months and an action report be filed before the Tribunal before the next date of hearing.
12. List along with M.A. No. 48/2022 on 15.09.2026.

मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में संयुक्त समिति बनाये जाने हेतु क्षेत्रीय निदेशालय (उ0), के.प्र.नि. बोर्ड, लखनऊ द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ओर से श्री अंकुर तिवारी, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रभारी, परियोजना कार्यालय, आगरा (मो.नं.–9319491133, ई–मेलः ankur.cpcb@nic.in) को सदस्य नामित किया गया है।

कृपया आपके अवलोकन, सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(अंकुर तिवारी)
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि :– सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- क्षेत्रीय निदेशक, के.प्र.नि. बोर्ड, लखनऊ।
- प्रभारी, IPC-II, के0प्र0नि0 बोर्ड, दिल्ली।

(प्रभारी अधिकारी)

परियोजना कार्यालय :
4,धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा - 282001
4, Dholpur House, M.G. Road, Agra - 282001
फैक्स : 0562-2421568, दूरभाष : 0562-4005877, 2421548
ई-मेल : E-mail : poagra.cpcb@nic.in

प्रधान कार्यालय / Head Office
'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Shahdara, Delhi-110032
EPABX / दूरभाष / Tel: +91-11-43102030, 22303717
फैक्स / Fax : 0091-11-22304948, 22307078
वेब साइट : www.cpcb.nic.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक H44693 /सी–1/एन0जी0टी0– 318 /2026 दिनांक 23/07/26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय: मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिका ओ0ए0 नं0–390/2026 (I.A. No. 506/2026 & I.A. No. 507/2026) Waseem Raja Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक–10.07.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिका ओ0ए0 नं0–390/2026 (I.A. No. 506/2026 & I.A. No. 507/2026) Waseem Raja Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक–10.07.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नानुसार है:–

.....8. Considering the seriousness of the issue involved in the matter we appoint a Joint Committee comprising of (i) Representative of the Member Secretary, Central Pollution Control Board, (ii) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, (iii) Secretary, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and (iv) District Magistrate, Ghaziabad. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency in the matter.

9. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of desilting work which has been done by the Respondent No. 7 and also find out the correctness of the allegation made in the OA and the person responsible for carrying out the said de-silting work in excess of the limit by indulging in illegal mining and the official who had extended the cooperation and help in that process. Considering the forthcoming monsoon the Joint Committee will take up the exercise of the spot inspection without any delay.

10. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of two months and an action report be filed before the Tribunal before the next date of hearing.....

अतः उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त समिति हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को नामित किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by Sanjeev Kumar Singh
Date: 27-07-2026 13:18:37

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि– 1.क्षेत्रीय अधिकारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2.विधि अधिकारी–प्रथम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

धर्मपाल पाण्डेय,
अनु सचिव
उ0प्र0 सरकार।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या-I/1468972/2026

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-2, लखनऊ: दिनांक 18-09-2026

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-390/2026(आई0ए0 नं0 506/2026 व आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम रजा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1162/एम0-एन0जी0टी0 अट/गाजियाबाद/2026 दिनांक 16.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-390/2026(आई0ए0 नं0 506/2026 व आई0ए0 नं0 507/2026) वसीम रजा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 31.08.2026 के क्रम में प्रस्तावित क्षेत्र की स्थलीय जाँच हेतु सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 शासन की ओर से किसी अधिकारी को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.07.2026 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र की स्थलीय जाच हेतु सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 की ओर से डॉ0 नवीन कुमार दास, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	डा० नवीन कुमार दास	अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद।	8887534717

भवदीय,

Digitally signed by
DHARM PAL PANDEY
Date: 18-09-2026 14:00:09

(धर्मपाल पाण्डेय)
अनु सचिव।

Annexure- III
ANNEXURE - III

36

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

01/July/2026 04:05:20 PM

जनपद : गाजियाबाद

तहसील : गाजियाबाद

ग्राम : डासना

ग्राम कोड : 119742

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

खाता संख्या : 05901

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण				खातेदार का अंश			
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष		(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
2076	1) जोहद / — / —			2076 (1197422076000061)	1.7580	1) 1/1	1) 1.7580	0.00
							1.7580	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : एक दशमलव सात पांच आठ शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : एक दशमलव सात पांच आठ शून्य (हेक्टेयर)

37

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे0)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे0)
1) श्रेणी परिवर्तन : पृष्ठ सं० 29 सूची क्रमांक 417 वर्ष 2025 -- न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल मेरठ, जनपद गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद वाद संख्या 3485/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T20251128010348S Lekhpal Tehsil Sadar By Tehsildar बनाम U.P. Govt. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, अंतर्गत धारा 38(3) आदेश तिथि 21/02/2025 - आदेश - ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी 1428-1433फ में खसरा संख्या 1180 रकबा 0.1520 हे0, खसरा संख्या 2076 रकबा 1.7580हे0, खसरा संख्या 2077 रकबा 3.3760 हे0, खसरा संख्या 2078 रकबा 1.6190 हे0, खसरा संख्या 2173 रकबा 0.8980हे0, खसरा संख्या 2292 रकबा 2.1870हे0, खसरा संख्या 2938क रकबा 0.0760हे0, खसरा संख्या 3380ख रकबा 0.6200हे0, खसरा संख्या 3425ख रकबा 1.9090हे0, खसरा संख्या 3427क रकबा 0.2530हे0, खसरा संख्या 3444 रकबा 0.4050हे0, खसरा संख्या 3485 रकबा 1.1760हे0, खसरा संख्या 3496ग रकबा 1.4290हे0, खसरा संख्या 3541ग रकबा 0.2910हे0, खसरा संख्या 3812ख रकबा 0.2530हे0, खसरा संख्या 3813ग रकबा 0.4300हे0, खसरा संख्या 3489 रकबा 0.7590हे0, खसरा संख्या 4013 रकबा 0.0760हे0 की श्रेणी 6-2 के स्थान पर सही श्रेणी 6-1 जलमग्न भूमि दर्ज किया जावे। (डिजिटल हस्ताक्षर: ROOPCHAND SINGH / 10-03-2025)						

38

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

1) 1425-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 04.01.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा न. 4358 क्षेत्रफल 1.2900है. का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों 04.01.2018 से 03.01.2028 तक के लिए श्री गजराज पुत्र राजाराम निवासी कुडियागढी, डासना जाति कश्यप को रू 3500 वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011 जी - 5 - 9 डी 2017 दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे। ह.अ.रा.नि.का.। 11.04.2018 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

2) 1427-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 11.10.19 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा नं० 3541ग क्षेत्रफल 0.2910है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षो (11.10.2019 से 10.10.2029 तक) के लिए श्री राजवीर पुत्र रामफल निवासी ग्राम कुडियागढी, डासना को रू 1400(एक हजार चार सौ रूपये मात्र) वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद आदेश संख्या आर-3011/जी5-9-डी 2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित हो। ह.अ.र.का.। (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1426-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 26.11.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा न० 4344 क्षेत्रफल 1.859है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षो 26.11.18 से 25.11.28 तक के लिए श्री जोनी पुत्र धर्मपाल निवासी कुडियागढी डासना जाति कश्यप को रू 84000/- वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011/जी-5-9 डी/2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे । ह.अ.र.का.।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नवशा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र/इसी पोर्टल के माध्यम से/एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

The original content in Hindi will be considered as sacrosanct and used for all legal purposes. The transliterated content is only for notional purpose for the user and has no legal sanctity.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

T.C

39

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

01/July/2026 04:09:25 PM

जनपद : गाजियाबाद

तहसील : गाजियाबाद

ग्राम : डासना

ग्राम कोड : 119742

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

खाता संख्या : 05901

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण				खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / खोत का आधार	(4) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
2077	1) जोहड़ / — / —		2077 (1197422077000061)	3.3760	1) 1/1	1) 3.3760	0.00
						3.3760	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक | कुल क्षेत्रफल : तीन दशमलव तीन सात छह शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये | कुल अंश का क्षेत्रफल : तीन दशमलव तीन सात छह शून्य (हेक्टेयर)

40

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) श्रेणी परिवर्तन : पृष्ठ सं० 29 सूची क्रमांक 417 वर्ष 2025 - - न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल मेरठ, जनपद गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद वाद संख्या 3485/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202511280103485 Lekhpal Tehsil Sadar By Tehsildar बनाम U.P. Govt. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, अंतर्गत धारा 38(3) आदेश तिथि 21/02/2025 - आदेश - ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी 1428-1433फ में खसरा संख्या 1180 रकबा 0.1520 हे0, खसरा संख्या 2076 रकबा 1.7580हे0, खसरा संख्या 2077 रकबा 3.3760 हे0, खसरा संख्या 2078 रकबा 1.6190 हे0, खसरा संख्या 2173 रकबा 0.8980हे0, खसरा संख्या 2292 रकबा 2.1870हे0, खसरा संख्या 2938क रकबा 0.0760हे0, खसरा संख्या 3380ख रकबा 0.6200हे0, खसरा संख्या 3425ख रकबा 1.9090हे0, खसरा संख्या 3427क रकबा 0.2530हे0, खसरा संख्या 3444 रकबा 0.4050हे0, खसरा संख्या 3485 रकबा 1.1760हे0, खसरा संख्या 3496ग रकबा 1.4290हे0, खसरा संख्या 3541ग रकबा 0.2910हे0, खसरा संख्या 3812ख रकबा 0.2530हे0, खसरा संख्या 3813ग रकबा 0.4300हे0, खसरा संख्या 3489 रकबा 0.7590हे0, खसरा संख्या 4013 रकबा 0.0760हे0 की श्रेणी 6-2 के स्थान पर सही श्रेणी 6-1 जलमग्न भूमि दर्ज किया जावे। (डिजिटल हस्ताक्षर: ROOPCHAND SINGH / 10-03-2025)						

41

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

1) 1425-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 04.01.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा न. 4358 क्षेत्रफल 1.2900है. का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों 04.01.2018 से 03.01.2028 तक के लिए श्री गजराज पुत्र राजाराम निवासी कुडियागढी, डासना जाति कश्यप को रू 3500 वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011 जी - 5 - 9 डी 2017 दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे। ह.अ.रा.नि.का.। 11.04.2018 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

2) 1427-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 11.10.19 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा नं० 3541ग क्षेत्रफल 0.2910है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों (11.10.2019 से 10.10.2029 तक) के लिए श्री राजवीर पुत्र रामफल निवासी ग्राम कुडियागढी, डासना को रू 1400(एक हजार चार सौ रूपये मात्र) वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद आदेश संख्या आर-3011/जी5-9-डी 2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित हो। ह.अ.र.का. । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1426-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 26.11.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा न० 4344 क्षेत्रफल 1.859है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों 26.11.18 से 25.11.28 तक के लिए श्री जोनी पुत्र धर्मपाल निवासी कुडियागढी डासना जाति कश्यप को रू 84000/- वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया ।राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011/जी-5-9 डी/2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे । ह.अ.र.का.।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र/इसी पोर्टल के माध्यम से/एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

The original content in Hindi will be considered as sacrosanct and used for all legal purposes. The transliterated content is only for notional purpose for the user and has no legal sanctity.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

42

01/July/2026 04:10:56 PM

जनपद : गाजियाबाद

तहसील : गाजियाबाद

ग्राम : डासना

ग्राम कोड : 119742

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

खाता संख्या : 05901

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण				खातेदार का अंश			
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष		(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
2078	1) जोड़ / — / —			2078 (11974220780000061)	1.6190	1) 1/1	1) 1.6190	0.00
							1.6190	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : एक दशमलव छह एक नौ शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : एक दशमलव छह एक नौ शून्य (हेक्टेयर)

43

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) श्रेणी परिवर्तन : पृष्ठ सं० 29 सूची क्रमांक 417 वर्ष 2025 -- न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल मेरठ, जनपद गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद वाद संख्या 3485/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T20251128010348S Lekhpal Tehsil Sadar By Tehsildar बनाम U.P. Govt. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, अंतर्गत धारा 38(3) आदेश तिथि 21/02/2025 - आदेश - ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी 1428-1433फ में खसरा संख्या 1180 रकबा 0.1520 हे0, खसरा संख्या 2076 रकबा 1.7580हे0, खसरा संख्या 2077 रकबा 3.3760 हे0, खसरा संख्या 2078 रकबा 1.6190 हे0, खसरा संख्या 2173 रकबा 0.8980हे0, खसरा संख्या 2292 रकबा 2.1870हे0, खसरा संख्या 2938क रकबा 0.0760हे0, खसरा संख्या 3380ख रकबा 0.6200हे0, खसरा संख्या 3425ख रकबा 1.9090हे0, खसरा संख्या 3427क रकबा 0.2590हे0, खसरा संख्या 3444 रकबा 0.4050हे0, खसरा संख्या 3485 रकबा 1.1760हे0, खसरा संख्या 3496ग रकबा 1.4290हे0, खसरा संख्या 3541ग रकबा 0.2910हे0, खसरा संख्या 3812ख रकबा 0.2530हे0, खसरा संख्या 3813ग रकबा 0.4300हे0, खसरा संख्या 3489 रकबा 0.7590हे0, खसरा संख्या 4013 रकबा 0.0760हे0 की श्रेणी 6-2 के स्थान पर सही श्रेणी 6-1 जलमग्न भूमि दर्ज किया जावे। (डिजिटल हस्ताक्षर: ROOPCHAND SINGH / 10-03-2025)						

44

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवाराधीन राजस्व याद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अध्युक्ति:

1) 1425-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 04.01.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा न. 4358 क्षेत्रफल 1.2900है. का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों 04.01.2018 से 03.01.2028 तक के लिए श्री गजराज पुत्र रजाराम निवासी कुडियागढी, डासना जाति कश्यप को रू 3500 वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011 जी - 5 - 9 डी 2017 दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे। ह.अ.रा.नि.का.। 11.04.2018 । (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

2) 1427-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 11.10.19 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा नं० 3541ग क्षेत्रफल 0.2910है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों (11.10.2019 से 10.10.2029 तक) के लिए श्री राजवीर पुत्र रामफल निवासी ग्राम कुडियागढी, डासना को रू 1400(एक हजार चार सौ रूपये मात्र) वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद आदेश संख्या आर.3011/जी5-9-डी 2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित हो। ह.अ.र.का.। (डिजिटल हस्ताक्षर : SHWETA JINDAL (REVENUE INSPECTOR) / 22-12-2020)

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1426-फ उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की स्वीकृति दिनांक 26.11.18 के द्वारा राजस्व ग्राम डासना के तालाब खसरा नं० 4344 क्षेत्रफल 1.859है० का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षों 26.11.18 से 25.11.28 तक के लिए श्री जोनी पुत्र धर्मपाल निवासी कुडियाढी डासना जाति कश्यप को रू 84000/- वार्षिक धनराशि पर आवंटित किया गया । राजस्व परिषद के आदेश संख्या आर 3011/जी-5-9 डी/2017 दिनांक 21.11.17 के अनुपालन में उक्त प्रविष्टि खतौनी में टिप्पणी कॉलम में अंकित होवे । ह.अ.र.का.।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र/इसी पोर्टल के माध्यम से/एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

The original content in Hindi will be considered as sacrosanct and used for all legal purposes. The transliterated content is only for notional purpose for the user and has no legal sanctity.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

T. C
I

Annexure-IV

55

ANNEXURE

कार्यालय नगर पंचायत डासना जनपद–गाजियाबाद

Email ID-nagarpanchayatdasna@gmail.com

पत्रांक–7886/नपडा–कार्य0/2026–27 दिनांक– 06.05.2026

M/s AVP Enviro Facilities Private Limited
R-2/187A Raj Nagar Ghaziabad
201002

कार्यादेश

आपको सूचित किया जाता कि नगर पंचायत डासना, गाजियाबाद के खसरा नं0–2076,2077,2078 (तालाब) के सम्बन्ध में NGT योजित वाद Misc Application No-48/2022 in ओ0ए0 संख्या 30/2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में NGT के आदेश दिनांक 13.10.2025 एवं 08.04.2026 के अनुपालन में वार्ड नं0– 01,08,13,15 में स्थित बड़े तालाब में स्थित सिल्ट की निकासी एवं साफ–सफाई कार्य के लिए राज्य वित्त आयोग मद से कार्यों को कराये जाने के लिए प्रकाशित ई–निविदा सं0–757/नपडा–ई–निविदा/2026–2027 दिनांक 20.04.2026 में आपके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। आपकी निविदा की दरें अधिकतम (L-3) होने के कारण नगर पंचायत डासना के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। आप द्वारा धनराशि (अंकन रूपये 13,76,870.17) नगर पंचायत डासना के बैंक खाता संख्या 50100489762542 एच0डी0एफ0सी0 बैंक गोविन्दपुरम आई0एफ0एस0सी0 HDFC0004733 में जमा कर दी गयी है। आप दो दिवस के अन्दर ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करा कर अवर अभियन्ता के सुपरविजन में लोक निर्माण विभाग के मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य सम्पन्न करेंगे।

- स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर स्थल की जी0पी0एस0 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- श्रम मानकों/नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- स्थल पर कार्य आगणन की दी गयी मापों एवं धनराशि के अन्तर्गत ही अनुमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विचलन की दशा में सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृति का विवरण:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	Total estimated cost (in Rupees)	Work of Item cost (in Rupees)	L-3 अधिकतम निविदा दाता	L-3 की लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	नगर पंचायत डासना के वार्ड नं0– 01,08,13,15 में स्थित बड़े तालाब में जल निकासी, सफाई एवं सिल्ट, निकासी का का कार्य।	30,75,862.33	13,11,055.00	M/s AVP Enviro Facilities Pvt Ltd	13,76,870.17	30 दिन

06.05.26

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत डासना
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि– अवर अभियन्ता नगर पंचायत डासना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

T.C

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत डासना
गाजियाबाद

56

ANNEXURE A/3

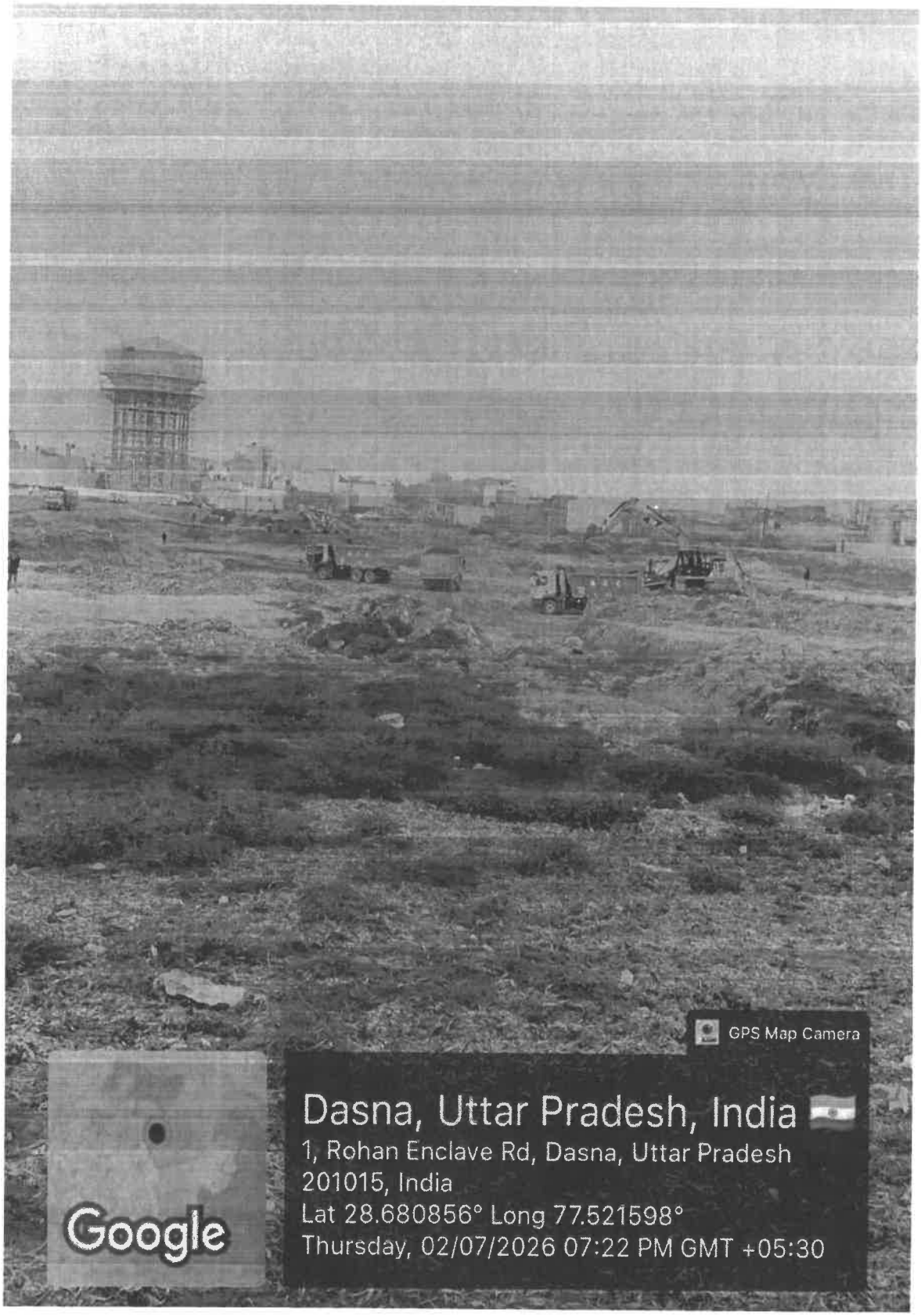

Annexure-V

कार्यालय जिलाधिकारी, Ghaziabad

(खनन-अनुभाग)

साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र

MINE MITRA

संख्या: NOC/OE/2026/5/19/664786

दिनांक: 08-06-2026

आवेदक एवं अवधि

आवेदक का नाम	AVP ENVIRO FACILITIES PVT LTD	आवेदक का पता	R -2 /187A RAJNAGER GHAZIABAD 201002
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 08-06-2026 से 05-09-2026 तक	खनन का प्रयोजन	

खनन के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण

नाम	मात्रा
Ordinary Soil	26370.00 घन मी॰
कुल	26370.00 घन मी॰

साधारण मिट्टी के खनन हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम / नगर	गाटा संख्या/खण्ड संख्या/प्लॉट संख्या	रकबा(हे॰)	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम
Ghaziabad	Ghaziabad	dasna - 119742	2076	1.7580	जोड़.

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

सहमति पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयम निष्पित करेगा।
2. अनुज्ञा पत्र धारक, ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-वाटी, सार्वजनिक भू-स्थान या सार्वजनिक संपत्ति पर कोई खतरा न खड़े या उसे क्षति न पहुचे।
3. अनुज्ञा पत्र धारक संग्रह किए गए सभी खनिजो का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृत अवधि, अनुज्ञा पत्र की अवधि अथवा माका जो भी पूर्व में घटित होगी, तक मान्य होगी।
5. प्रत्येक माह में खनन की गयी निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. खनन कार्य इस प्रकार से किया जाएगा कि सजीपवती भू-भाग अथवा भवन व कर्मचरत मजदूरो को हानी न पहुचे और यदि कोई क्षति होती है तो समस्त मुआवजा अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा देय होगा।
7. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा पड़ोसी खेत से सुरक्षित दूरी छोड़कर खनन कार्य किया जाएगा। यदि पड़ोसी खेत स्वामी की मेड़ आदि को कोई क्षति होती है तो उसके लिए अनुज्ञा पत्र धारक ही जिम्मेदार होगा तथा उसके दावे की क्षतिपूर्ति करेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वय निष्पित करेगा, इस क्रम मे विभाग द्वारा कोई वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा आवेदित भू भाग मे 01 मीटर गहराई तक ही खनन का कार्य किया जाएगा।
9. यदि खनन करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की मात्रा एवं रॉयल्टी का आंकलन किया जाएगा जो आवेदक को अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप मे देय अनिवार्य होगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा वन विभाग की भूमि से 100 मीटर की दूरी छोड़कर ही खनन कार्य किया जाएगा।
11. यदि अनुज्ञा पत्र धारक, दी गयी शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी है।
12. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा।
13. यदि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा आवेदित मात्रा/स्वीकृत मात्रा से अधिक निकासी/परिवहन करता है तो वह अवैध निकासी/परिवहन की श्रेणी में आयेगा एवं ऐसा करने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
14. खेत में स्थित बिजली के खंभे से सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जाएगा, यदि खनन कार्य करते समय किसी प्रकार क्षति होती है तो अनुज्ञा पत्र धारक उसका स्वयं जिम्मेदार होगा एवं क्षतिपूर्ति करेगा
15. आवेदित स्थल के आस-पास के अन्य खेतों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा तथा निकासी कार्य सन्निकट मेड़/खेत की सीमा से निकासी की गयी मिट्टी की गहराई के आधे की दूरी छोड़ी जायेगी।
16. अनुज्ञा पत्र धारक द्वाराआवेदित स्थल से निकासी की गयी मिट्टी का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायेगा;
17. अनुज्ञापत्र धारक प्रस्तावित पहाड़ो से सीधे पर उपलब्ध वृक्षों का कटान कदापि नहीं करेगा।
18. पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र के प्रभावी नियमो अधिसूचना एवं शर्तो के अनुसार खनन संचेदा की जाएगी।
19. अनुज्ञापत्र धारक को 3040 उप खनिज (परिहार) नियमावली -2021 एवं समय समय पर जारी शासनादेश एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा तथा उसका उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
20. आवेदक द्वारा उपखनिज का परिवहन पर्यावरण संबंधी नियमो का पालन करते हुए तिरपाल आदि से ढक कर किया जाएगा।
21. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम-1957 तथा नियमावली – 2021 एवं वर्तमान शासनादेशों का पालन किया जाएगा।
22. यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली अथवा शासन द्वारा कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो आवेदक द्वारा उसका पालन किया जाएगा।
23. अन्य शर्तें 3040 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के अनुसार मान्य होगी।
24.

Annexure-VI

अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 29.06.2026

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्यालय नगर पंचायत डासना, जनपद - गाज़ियाबाद

Name Of Work:-वार्ड-न0-01,07,08,13,15 में स्थित बड़े तालाब में सिल्ट एव जल निकासी का कार्य।

S.N.	S.I.N.	ITEM	N	L	B1	B2	B= (B1+B2) /2	H/ D	QTY	UNIT
1	As per Analysis	Earthwork incuttingor inembankment in ordinarysoil excavation tobe in the form of regular pits not exceeding 0.50M.in depthandearthwork inembankment to bein20cm. layersincludingremmingand dressingthesurfacetorequiredlevelsand slopesandalso including1.50M. lift and 30M. lead. Theearth fromcutting tobe used in making embankment or to be deposited as spoil banks with-in 30M. distance as directed by the Engineer Incharge. excluding Royality. Wherever applicable for small work or Abadi area. (Where machine con not reach/move)								
			1	45.00			30.00		1350.00	Sqm
			1	30.00			37.30		1119.00	Sqm
			1	105.0			82.30		8641.50	Sqm
								Tot	11110.50	Sqm
			1	11110.50	(0.75+0.85+0.90+1.20)/4			0.9	10332.77	Cum
		आज दिनांक 29 /06/ 2026 को तालाब सिल्ट (गाद) निकलने की वर्तमान स्थिति							10332.77	Cum
		प्राक्तन के अनुसार तालाब सिल्ट (गाद) निकलने की कुल मात्रा							12607.00	Cum
		सिल्ट/ (गाद) निकलने की कुल मात्रा					Total		2274.23	Cum
		नोट :- रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित								

29/06/26
अवर अभियन्ता
नगर पंचायत डासना
गाजियाबाद